उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी
(जिला योजना)

इच्छा की अभिव्यक्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 में आकांक्षी जिला योजना के तहत् खूँटी जिला के अकुशल युवकों को रोजगारोन्मुख Heavy Motor Vehicle, Tipper, Loader-Excavator Category के मोटर वाहन में प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु झारखण्ड राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त अनुभवी मोटर ड्राईविंग प्रशिक्षण संस्थानों से इच्छा की अभिव्यक्ति के आधार पर प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थान अपना प्रस्ताव दिनांक 17-10-2019 के अपराह्न 01:00 बजे तक शर्त्तों के अनुरूप अपना आवेदन पत्र एवं विस्तृत विवरणी जिला योजना कार्यालय, खूँटी में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं दिनांक 17-10-2019 के अपराह्न 03:00 बजे प्राप्त प्रस्तावों को समिति के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् जमा किये जाने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

शर्त्तें खूँटी जिला के वेबसाईट www.khunti.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–
उपायुक्त,
खूँटी।

शर्त्तें

1. Heavy Motor Vehicle, Tipper, Loader-Excavator Category के मोटर वाहन के प्रशिक्षण कराये जाने हेतु झारखण्ड राज्य का निबंधित संस्थान होनी चाहिए।
2. संस्थान को प्रशिक्षण कार्य का कम–से–कम विगत्त तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
3. संस्थान को विगत्त तीन वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा, जिसमें सालाना टर्नओवर 50.00 (पचास) लाख रूपये से ज्यादा होना चाहिए।
4. संस्थान के पास आवासीय प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 50 प्रशिक्षणार्थियों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उपलब्ध परिसर की विवरणी संलग्न करना होगा।
5. संस्थान को आवासीय एवं गैर–आवासीय प्रशिक्षण का प्रति प्रशिक्षणार्थी अलग–अलग दर अंकित करना होगा।
6. संस्थान के पास उपलब्ध Heavy Motor Vehicle, Tipper, Loader-Excavator Category के वाहनों की संख्या एवं विवरणी संलग्न करना होगा।

उपायुक्त,
खूँटी।

आओ मिलकर अलख जगाएँ, शत् प्रतिशत् मतदान कराएँ

Scanned by CamScanner